न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 23/17 निर्णय दिनांकः— 16—12—2019
(आरसीएमएस संख्या 2017/00370)

1. इमामबक्स वल्द अल्लादीन जाति मुसलमान निवासी डंडी राणेवाला तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 25—01—2017
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः—

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय व डिक्री दिनांक 25—01—2017 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि चक 6 केकेएम के मुरब्बा नम्बर 127/57 के किला नम्बर 1 ता 9, 14 व 15 तादादी 11 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 10, 12 व 16 में 3 बीघा अनकमाण्ड कुल तादादी 14 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 146/8 के किला नम्बर 14 ता 25 तादादी 12 बीघा इस प्रकार कुल 26 बीघा भूमि दिनांक 10—05—1989 को आवंटित की गई थी। जिस पर आवंटन की दिनांक से आज दिनांक तक कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। इस आशय की पुष्टि खसरा गिरदावरी संवत् 2046 से 2049 के होती है। परन्तु आगे की गिरदावरियों में अंकन नहीं हुआ है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु कई बार निवेदन किया जाता रहा है परन्तु राजस्व अमला द्वारा अपीलांट के आवंटन का राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का अंकन नहीं किया गया। जिसकी धोषणा करवाने का दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट आवंटित भूमि को सक्षम धोषित कराने का वादीगण ने दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जो दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में यह अभिलिखित किया गया है कि आवंटित भूमि का चरणबद्व व समयबद्व तरीके से सक्षम संबंधित कार्यालय से अंकन नहीं कराने की स्थिति में आवंटन स्वतः ही निरस्त व निष्प्रभावी हो जाता है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि गैर मुमकिन पायतान हेतु दर्ज होने के आधार पर अपीलांट का वाद खारिज किया गया है। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या प्रकरण की वस्तुस्थिति के मद्देनजर गलत व्याख्या की गई है क्योंकि वादगत् भूमि अपीलांट को विधिवत रूप से आवंटित भूमि थी जिसकी धोषणा हेतु धोषणात्मक वाद लाया जा सकता है। जिसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान निहित है तथा जिसके लिए कोई मियांद बाधक नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के नाम आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि रही है।

अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्पवपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में जो तनकीयात् कायम की गई उन तनकीयात् के संबंध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य ली गई ना ही अपीलांट को साक्ष्य व सबूत पेश करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। जबकि अदालत मातहत द्वारा स्वयं अपीलाधीन आदेश में यह अभिलिखित किया गया है कि खसरा गिरदावरी सवंत् 2046–2049 में अपीलांट का नाम बतौर काश्तकार दर्ज है तथा धारा 22 के नोटिस अपीलांट/वादी को जारी किये गये है। जिससे प्रथम दृष्टया ही यह साबित होता है कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। अदालत मातहत द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिनके आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि चक 6 केकेएम के मुरब्बा नम्बर 127/57 के किला नम्बर 1 ता 9, 14 व 15

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

तादादी 11 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 10, 12 व 16 में 3 बीघा अनकमाण्ड कुल तादादी 14 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 146/8 के किला नम्बर 14 ता 25 तादादी 12 बीघा इस प्रकार कुल 26 बीघा भूमि दिनांक 10–05–1989 को आवंटित की गई थी जिसकी धोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलांट को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि अपीलांट को दिनांक 10–05–1989 को आवंटन थी। अपीलांट द्वारा लगभग 28 वर्षो तक सक्षम न्यायालय से राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में आवंटन स्वतः ही निष्प्रभावी व निरस्त हो जाता है। चूंकि वादगत् भूमि मौके पर जोहड़ पायतान हेतु आरक्षित भूमि होने के कारण व कब्जे काश्त के अभाव में अपीलांट का दावा खारिज किया गया है। जो सही है। अतः अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 व धारा 92 –ए के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि चक 6 केकेएम के मुरब्बा नम्बर 127/57 के किला नम्बर 1 ता 9, 14 व 15 तादादी 11 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 10, 12 व 16 में 3 बीघा अनकमाण्ड कुल तादादी 14 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 146/8 के किला नम्बर 14 ता 25 तादादी 12 बीघा इस प्रकार कुल 26 बीघा भूमि दिनांक 10–05–1989 को आवंटित की गई थी, के खातेदारी अधिकारों की धोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया। अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वादपत्र अदालत मातहत द्वारा खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अपीलांट् द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट को दिनांक 10–05–1989 को आवंटित की गई थी जिस पर आवंटन की दिनांक से आज दिनांक तक कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। जिसकी धोषणा करवाने का दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

था। वादगत् भूमि अपीलांट/वादीगण के कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही है। चूंकि उक्त भूमि वादीगण/अपीलांट को वर्ष 1989 से आवंटन थी तथा मौके पर आज भी अपीलांट का कब्जा काश्त है जिसकी धोषणा करवाने का अपीलांट/वादीगण कानूनन अधिकारी है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में स्टेट का जवाब प्राप्त किया गया। स्टेट के जवाब में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि वादगत् भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु अपीलांट द्वारा विधि सम्मत व समयबद्व, चरणबद्व तरीके से प्रस्तुत नहीं किया है ना ही सेल रजिस्टर में खाता संधारित है। खसरा गिरदावरी संवत् 2060, 2061 एवं 2062 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के आंशिक भाग पर नाजायज काश्त की गई थी जिसके लिये उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जा चुकी है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन पायतन दर्ज है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि किसी भी स्थिति में आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि नहीं थी। यदि तत्समय अपीलांट को उक्त भूमि का आवंटन कर भी दिया गया था तो उक्त आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

(4) प्रकरण में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त रहा हो। प्रकरण में यह तथ्य तो निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट को दिनांक 10–05–1985 को आवंटित थी। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में जोहड़ पायतान हेतु आरक्षित भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांट/वादीगण द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलांट/वादीगण यदि वादगत् भूमि पर अपने हक व हकूक मानते है तो उन्हें उक्त आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत करते हुए चाराजोई करनी चाहिए थी। अपीलांट/वादीगण द्वारा वादगत् भूमि जोहड़ पायतान हेतु आरक्षित किये जाने के विरूद्व कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।

(5) प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/वादीगण का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि दिनांक 10–05–1989 को आवंटन होने के कारण खातेदारी हकों की धोषणा करवाने के अधिकारी है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथाखसरा गिरदावरी, जमाबन्दी, वादगत् भूमि की मौका रिपोर्ट आदि ना तो अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये है व

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर आज दिनांक को उनका कोई कब्जा काश्त हो व अपीलांट/वादीगण के अभिकथनों को कोई बल प्राप्त होता हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी नहीं माने जा सकते।

(6) अपीलांट अपने कथनों, राजस्व रिकार्ड, सबूतों व गवाहन के माध्यम से वादगत् भूमि के बाबत् अपने अधिकारों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25–01–2017 उपखण्ड अधिकारी, पूगल बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 16–12–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामस्वरूप [illegible])
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.27 11:56:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: